(14)

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 44/2022 बउनवानी दिलीप कुमार शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति जिला कलेक्ट,स०मा०
निवासी– नर्सिगं कॉलोनी, गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/85 **On line N0- 321931124598507**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26.5.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.3.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. वरिष्ठ सहायक पद की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण (डीपीसी वर्ष 2015–16) की प्रमाणित प्रति। 2. वरिष्ठ सहायक पद की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण (डीपीसी वर्ष 2016–17) की प्रमाणित प्रति। 3. वरिष्ठ सहायक पद की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण (डीपीसी वर्ष 2021–22) की प्रमाणित प्रति। 4. सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए आयोजित विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण (डीपीसी वर्ष 2021–22) की प्रमाणित प्रति। 5. दिनांक 1.4.2021 को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृत एवं रिक्त पदो की संख्या की प्रमाणित सूचना। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2()/सूकाअ/2022/166 दिनांक 5.5..2022 से अवगत कराया कि प्रभारी अधि0 संस्थापन अनुभाग के पत्रांक/प.5(16)1/विविध/सूकाअ/स्था/2020/1982 दिनांक 21.4.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है कि वांछित सूचना व्यक्तिगत एवं तृतीय पक्ष की होने के कारण अधिनियम की धारा 8 के नियम 112 के तहत सूचना देने के लिए बाध्य नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना नही दी गयी है। इस प्रकार वांछित सूचना के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.3.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 की सूचना को व्यक्तिगत मानते हुए अपीलान्ट को सूचना नही दी गयी है। किन्तु अधिनियम की धारा 8 (झ) के तहत केवल ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता मे अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है दिये [illegible] छूट प्रदान की गयी है। उक्त सूचना मे किसी व्यक्ति की एकांतता पर [illegible] है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को [illegible]शित किया जाता है कि वांछित सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ [illegible] अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शु[illegible] होकर नम्बर से कम [illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:21:58 IST
Reason: SelfAttested